

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./सी-80/2025/ 36

दिनांक : 27.1.2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
बीकानेर।

विषय:- डॉ. छाया गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि डॉ. छाया गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गजनेर जिला बीकानेर जो स्वैच्छा से दिनांक 01.05.2010 से अनुपस्थित रहने पर चिकित्सक के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) के अनुसार कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर मय संबधित दस्तावेजों के अविलम्ब निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें। विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./सी-80/2025/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन एवं सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग राज.जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

Signature valid



Digitally signed by Dr. Sushil Kumar Parmar  
Designation : Additional Director  
Date: 2025.01.23 15:51:43 IST  
Reason: Approved